कावड़ यात्रा निकाली

उदयपुर, (कासं)। भगवान श्री महाकाल की कावड़ यात्रा सोमवार की शोभायात्रा गंगोद्भव कुंड से निकाली गई। कावड़ यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा।

सोमवार प्रातः 9 बजे गंगोद्भव कुण्ड आयड स्थित शिवालय में पं. दिलीप शर्मा द्वारा विधि विधान से पुजा आरती समिति के संयोजक मोहनलाल साहु, सह संयोजक भंवर चौधरी महिला संयोजक अर्चना शर्मा, सह संयोजक कुसुम शर्मा, कविता सिखवाल, कविता शर्मा द्वारा की गई। इसके पश्चात कावड़ यात्रा गंगोद्भव से आयड मेन रोड, माताजी मंदिर से शक्ति नगर, जगदीश चौक, चांदपोल पुलिया से अम्बापोल, .अम्बामाता मंदिर, आयुर्वेद चौराहा (राडाजी चौराहा) होते हुए श्री महाकाल मंदिर पहुंची। महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजसिंह सरूपरिया, सचिव चन्द्रशेखर दाधीच, महिपाल शर्मा, सुन्दरलाल मांडावत द्वारा समस्त कावड यात्रियों का स्वागत किया गया।

926 किलो अवैध डोडा-चूरा जब्त, तस्कर फरार

कपासन, (निसं)। कपासन पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में 46 कट्टों में भरा कुल 926 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया। पिकअप के नदी में फंस जाने से तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए।

कपासन थाना अधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया जिले में अधिकारियों अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कपासन पुलिस ने तीर्थ स्थल शनि महाराज के पास एक बिना नंबर की पिकअप चालक ने गाड़ी और तेजी से गाड़ी भगा कर ले गया। इसके बाद गांव रामथली के पास नदी को पार करने के प्रयास में गाड़ी पिकअप फंस गई। पुलिस में गाड़ी की तलाशी लेने के दौरान गाड़ी में से 46 कट्टे मिले जिसमें कुल 926 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा जप्त किया। पिकअप के नदी में फंस जाने से तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार निकुंभ थाना अधिकारी यसवंत सोलंकी के जिम्मे किया गया।

कपासन पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में 46 कट्टों में भरा 926 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया।

उदयपुर में 10 कोरोना पॉजीटिव मिले

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले में सोमवार को मिली 568 जांच रिपोर्ट्स में दस कोरोना संक्रमित मिले। जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि कोरोना पॉजीटिव मिले 10 में से 8 मरीज शहरी क्षेत्र से दो मरीज ग्रामीण क्षेत्र से है।

साहित्यकार प्रो.माधव हाड़ा सम्मानित

उदयपुर, (कासं)। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए जिले के ख्यातनाम साहित्यकार व आलोचक प्रो. माधव हाड़ा को बनारस में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विवि के मालवीय मूल्य अनुशीलन केन्द्र में आयोजित एक सम्मान समारोह में प्रो. हाड़ा को प्रो. शुकदेव सिंह स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया। समारोह में अरुण कमल ने कहा कि भक्ति काव्य सम्पूर्ण जीवन का काव्य है। उसमें भूख, दु:ख, पीड़ा, संताप और उदासी के कई बिम्ब हैं। भक्ति काव्य सत्ता और समाज का मुखर प्रतिकार करता है तो जीवन के विकल्प भी सुझाता है। भक्ति कविता भाषा और कला के दृष्टि से उच्चतर कविता है। भक्ति कविता सिखाती है कि मनुष्य का सर मनुष्य के सम्मुख नहीं झुकता।

सम्मान स्वीकार करते हुए प्रो. माधव हाड़ा ने कहा कि पिछले दो तीन दशकों में जो औपनिवेशिक ज्ञान परंपरा हावी हुई है उसने भक्ति काव्य को समझने की देशज शैली को प्रभावित किया है। स्वागत वक्तव्य प्रो मनोज सिंह ने दिया। आयोजन में प्रो हाड़ा द्वारा संपादित कालजयी कवि और उनका काव्य शृंखला की छह पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर प्रो अवधेश प्रधान, प्रो बलिराज पांडेय, प्रो चंद्रकला त्रिपाठी, प्रो वशिष्ट नारायण त्रिपाठी, प्रो श्रीप्रकाश शुक्ल, प्रो प्रभाकर सिंह आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन डॉ भगवंती सिंह एवं अतिथियों का परिचय डॉ प्रज्ञा पारमिता ने दिया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: भीण्डर, चन्द्र लोक सिनेमा के पास, श्रीजी प्लाजा उदयपुर, राजस्थान-313603, ई-मेल: bhinde@bankofbaroda.com

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा,** प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

ऋणियों/जमानतदारों के नाम एवं पते- मैसर्स श्री महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन पता: भीण्डर कानोड रोड़, गांव बडवई, डूंगला, चित्तौड़गढ, राजस्थान **प्रोपराईटर-श्रीमती चंचल श्रीमाली पत्नी श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी पता-**27, सुरभि विला, श्री नाथ कॉम्पलेक्स कॉलोनी, देबारी, उदयपुर, राजस्थान-313603 **एवं जमानतदार-श्री सुभाष त्रिवेदी पुत्र श्री सत्यनारायण पता-**27, सुरभि विला, श्रीनाथ कॉम्पलेक्स कॉलोनी, देबारी, उदयपुर, राजस्थान-313603

कुल बकाया राशि-रूपये 88,54,968.58 दिनांक 06.12.2021 को बकाया (दिनांक 05.12.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।

वर्तमान बकाया राशि-रूपये 96,25,771.30 दिनांक 18.07.2022 को बकाया एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।

कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/वास्तविक)- प्रलक्षित

संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय- 09.08.2022, सुबह 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक

ई-नीलामी की दिनांक व समय- 17.08.2022, दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयावृद्धि के साथ)

ज्ञात संपत्तियों के साथ अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि
श्रीमती चंचल श्रीमाली पत्नी श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी के नाम आवासीय प्लॉट जो खसरा नं. 1818/2, खेरोदा रोड के पास, एनएच-76, गांव नवानिया, भीण्डर, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 85' X 314' = 26690 वर्ग फीट है। **सीमाएं**-उत्तर: नेशनल हाईवे, दक्षिण: आम रास्ता, पूर्व: चंचल श्रीमाली की भूमि, पश्चिम: अन्य कृषि भूमि **अन्य ऋण भार:-ज्ञात नहीं**	**आरक्षित मूल्य**- रूपये 41,90,000/- (रूपये इकतालीस लाख नब्बे हजार मात्र) **धरोहर राशि**- रूपये 4,19,000/- (रूपये चार लाख उन्नीस हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशि**- रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र)
श्रीमती चंचल श्रीमाली पत्नी श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी के नाम आवासीय प्लॉट जो खसरा नं. 1818/3, खेरोदा रोड के पास, एनएच-76, गांव नवानिया, भीण्डर, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2484 वर्ग मीटर है। **सीमाएं** -उत्तर:1818/3 के आराजी बाबूलाल सुथार, दक्षिण: नवानिया खेरोदा, पूर्व: आराजी नं. 1818 एमआई एवं खेरोदा रोड, पश्चिम: शेष भूमि आराजी नं. 1818/2/1 रोड 30 फीट **अन्य ऋण भार:-ज्ञात नहीं**	**आरक्षित मूल्य**- रूपये 36,08,000/- (रूपये छत्तीस लाख आठ हजार मात्र) **धरोहर राशि**-रूपये 3,60,800/-(रूपये तीन लाख साठ हजार आठ सौ मात्र) **बोली वृद्धि राशि**- रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं https://ibapi.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं- 02957-250011, मोबाईल नं 8875025604** पर संपर्क कर सकते है।

हस्ता.

दिनांक: 25.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: उदयपुर बैंक ऑफ बड़ौदा

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India हर भारतीय का बैंक THE BANKER TO EVERY INDIAN

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा- गढ़ा जसराजपुर, जिला-डूंगरपुर, (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा **13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3** के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता **मैसर्स जिनेंद्र कुमार धनराज जैन जरिए प्रोपराइटर श्री जिनेंद्र कुमार पुत्र श्री धनराज जैन और दीपक कुमार पाटीदार पुत्र श्री मोहन लाल पाटीदार (जमानती)** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **12/05/2022 को रूपये 8,02,658/- (रुपये आठ लाख दो हजार छ: सौ अठावन मात्र) दिनांक 12/05/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 20 माह जुलाई वर्ष 2022** को ग्रहण कर लिया है। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपयें 7,39,832.00/- दिनांक 20/07/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्री जिनेंद्र कुमार पुत्र श्री धनराज जैन की आवासीय सम्पत्ति जो कि **खसरा नंबर-1558, पट्टा नंबर 04, वीपीओ-चिखली, तहसील-चिखली, जिला-डूंगरपुर, राजस्थान** पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढ़ाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग **1471.62 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएँ: पूर्व : देवी लाल पुत्र सुख लाल का घर और शॉप; पश्चिम : दिनेश पांचाल पुत्र भगवान पांचाल का घर और दुकान; उत्तर : स्वयं की दुकान और आम रास्ता; दक्षिण : हनुमान जी मंदिर और दिनेश पांचाल पुत्र भगवान पांचाल की भूमि

दिनांक : 20/07/2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : गढ़ा जसराजपुर भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India हर भारतीय का बैंक THE BANKER TO EVERY INDIAN

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा-आसपुर, जिला-डूंगरपुर, (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा **13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3** के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता **श्री मांगी लाल सुथार पुत्र श्री ओंकार जी सुथार एवं श्री हितेश कुमार सुथार पुत्र श्री देवी लाल सुथार (गारंटर)** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **09/05/2022 को रूपये 10,07,741/- (रूपये दस लाख सात हजार सात सौ इकतालीस मात्र) दिनांक 09/05/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 20 माह जुलाई वर्ष 2022** को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपयें 9,84,294/- दिनांक 20/07/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्री मांगी लाल सुथार पुत्र श्री ओंकार जी सुथार की आवासीय सम्पत्ति जो कि **खसरा नं. 1211/20, ग्राम-कुंडा, तहसील-सारदा, जिला- उदयपुर राजस्थान-313903** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढ़ाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। **जिसकी माप लगभग 0985 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएँ: पूर्व में : अन्य प्लॉट; पश्चिम में : कॉलोनी की सड़क; उत्तर में : अन्य प्लॉट; दक्षिण में : मनोहर सिंह जी का प्लॉट

दिनांक : 20/07/2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : आसपुर भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India हर भारतीय का बैंक THE BANKER TO EVERY INDIAN

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा- गढ़ा जसराजपुर, जिला-डूंगरपुर, (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा **13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3** के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता **मैसर्स श्री राम कृषि बीज भंडार जरिए प्रोपराइटर श्री धनेश्वर पाटीदार पुत्र श्री प्रेम जी पाटीदार और श्रीमती रेसी पाटीदार पत्नी श्री धनेश्वर पाटीदार (जमानती)** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **12/05/2022 को रूपये 5,17,658/- (रुपये पांच लाख सत्रह हजार छ: सौ अठावन मात्र) दिनांक 12/05/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 20 माह जुलाई वर्ष 2022** को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) की विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपयें 5,24,364.00/- दिनांक 20/07/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती रेसी पाटीदार पत्नी श्री धनेश्वर पाटीदार की आवासीय सम्पत्ति जो कि **वीपीओ-चिखली, तहसील-चिखली, जिला-डूंगरपुर, राजस्थान** पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढ़ाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। **जिसकी माप लगभग 2100 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएँ: पूर्व में : रमन लाल का घर; पश्चिम में : रोड़; उत्तर में : प्रेम जी का घर; दक्षिण में : अमर जी पाटीदार

दिनांक : 20/07/2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : गढ़ा जसराजपुर भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India हर भारतीय का बैंक THE BANKER TO EVERY INDIAN

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा-आसपुर, जिला-डूंगरपुर, (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा **13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3** के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता **मैसर्स लवली सेल्स कार्पोरेशन जरिए प्रोपराइटर श्री शंकर लाल उपाध्याय पुत्र श्री ओंकार लाल उपाध्याय एवं श्री कान्ति लाल उपाध्याय पुत्र श्री लीला राम उपाध्याय (जमानती)** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **25/02/2022 को रूपये 11,00,061/- (रुपये ग्यारह लाख इकसठ मात्र) दिनांक 22/02/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 20 माह जुलाई वर्ष 2022** को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपयें 12,06,984/- दिनांक 20/07/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्री शंकर लाल उपाध्याय पुत्र श्री ओंकार लाल उपाध्याय की आवासीय सम्पत्ति जो कि **आबादी खसरा नंबर 1143, गोल, तहसील-आसपुर, जिला-डूंगरपुर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढ़ाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। **जिसकी माप लगभग 10295 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएँ: पूर्व में : खुली ज़मीन; पश्चिम में : उदयपुर से बांसवाड़ा रोड; उत्तर में : जय शंकर / भगवान जी की भूमि; दक्षिण में : जय शंकर / भगवान जी की भूमि

दिनांक : 20/07/2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : आसपुर भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना

पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, बड़ी रोड़, उदयपुर (राज.)

SWACH Mob. No. 9829111664, 9660226664 Email: udrswachpo@gmail.com

क्रमांक : एफ 1( )/प.अ./स्वच्छ/2022-23/1549 दिनांक 25.07.2022

ई-निविदा (बोली) व खुली निविदा सूचना संख्या 04/2022-23

NIB No. : SWP2223A0014 NIB No. : SWP2223WSOB00014

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा वित्त पोषित एवं स्वच्छ परियोजना उदयपुर को स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्य इस कार्यालय द्वारा करवाये जाने है। इस हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत संवेदकों से ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। कार्य की ई-निविदा एवं खुली निविदा की प्रति दिनांक 26.07.2022 से 04.08.2022 तक वेब साईट http:/eproc.rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदाएं एवं खुली निविदा के टेण्डर डॉक्यूमेन्ट, स्टाम्प व डी.डी. (परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर के पक्ष में) कार्यालय में हार्डकॉपी में दिनांक 05.08.2022 दोपहर 1.00 बजे तक जमा लिये जाकर तकनीकी निविदाए दिनांक 05.08.2022 दोपहर 03.00 बजे से खोली जायेगी।

उक्त निविदाओं की जानकारी नियम एवं शर्ते इत्यादि बेब साईट http:/eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

परियोजना अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: भीण्डर, चन्द्र लोक सिनेमा के पास, श्रीजी प्लाजा उदयपुर, राजस्थान-313603, ई-मेल: bhinde@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा,** प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

ऋणियों/जमानतदारों के नाम एवं पते- श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी पुत्र श्री सत्यनारायण पता: 27, सुरभि विला, श्रीनाथ कॉम्पलेक्स, देबारी, जिला-उदयपुर, राजस्थान-313024 **एवं जमानतदार-श्री चिराग प्रसाद त्रिवेदी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी पता-**27, सुरभि विला, श्रीनाथ कॉम्पलेक्स, देबारी, जिला-उदयपुर, राजस्थान- 313024

कुल बकाया राशि-रूपये 15,09,179.40 दिनांक 04.01.2022 को बकाया एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।

वर्तमान बकाया राशि-रूपये 16,01,625.80 दिनांक 18.07.2022 को बकाया एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।

कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/वास्तविक)- प्रलक्षित

संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय- 09.08.2022, सुबह 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक

ई-नीलामी की दिनांक व समय- 17.08.2022, दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक (प्रत्येक 10 मिनट की असीमित समयावृद्धि के साथ)

ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि
श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी पुत्र श्री सत्यनारायण के नाम आवासीय प्लॉट आराजी नं. 1309/170, राजस्व गांव बडवई, तहसील डूंगला, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 40' X 50' = 2000 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- उत्तर: आम रास्ता 25 फीट चौड़ा, दक्षिण: चंचल त्रिवेदी की खाली भूमि, पूर्व: रास्ता 25 फीट, पश्चिम: चंचल त्रिवेदी की खाली भूमि **अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं**	**आरक्षित मूल्य**-रूपये 3,40,000/- (रूपये तीन लाख चालीस हजार मात्र) **धरोहर राशि**- रूपये 34,000/- (रूपये चौंतीस हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशि**- रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं https://ibapi.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं- 02957-250011, मोबाईल नं 8875025604** पर संपर्क कर सकते है।

हस्ता.

दिनांक: 25.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: उदयपुर बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: नविप्र/नियमन रिकार्ड/2022/1551 दिनांक: 25-7-2022

आम-सूचना

निम्न आवेदन कर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग नामा के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है :-

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1.	35 (MUT NO. 2107)	1800	सवीना खेड़ा खसरा संख्या 637 से 644	श्री शैख यासर युनुस, श्री शैख यावर युनुस, श्री शैख मेहरोज युनुस सर्व पिता श्री मोहम्मद शैख	श्री मोहम्मद युनुस शैख पिता श्री नुर मोहम्मद शैख का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2021 को एवं श्रीमती शैख खलीदा युनुस का स्वर्गवास दिनांक 02.05.2021 का होने से उनके वारीसान के आधार पर नामान्तरण चाहा गया।
2.	52 (MUT NO. 2251)	4600.66	दैवाली गौर्वधन विलास खसरा संख्या 661	श्री कमल जैन, श्री हितेश जैन, सुश्री प्रिती जैन सर्व पिता श्री रमेश कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन पत्नी श्री रमेश कुमार जैन,	पिता श्री रमेश कुमार जैन पिता श्री वरदी चन्द्र जी जैन का स्वर्गवास दिनांक 18.04.2022 का होने से उनके वारीसान के आधार पर नामान्तरण चाहा गया।
3.	28(MUTNO. 2302)	1250.00	नैला (जोगी तालाब) विलास खसरा संख्या 2767 मी., 4334/2767	श्री दलपत राम जोशी पिता श्री फौजाराम जोशी	श्रीमती कमला जोशी पत्नी श्री दलपत राम जी जोशी का स्वर्गवास दिनांक 02.05.2021 को होने से उनके अन्य वारीसान द्वारा किये गये पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 02.05.2022 के आधार पर श्रीमती कमला जोशी के हिस्से का नामान्तरण चाहा गया।
4.	29(MUTNO. 2334)	1250.00			
5.	32(MUTNO. 2335)	1564-25			
6.	33(MUTNO. 2352)	1250.00			
7.	03(MUTNO. 2383)	2100.00	तितरडी खसरा संख्या 3431/3190	श्री गोरव जोशी पिता श्री दलपत राम जोशी	श्रीमती कमला जोशी पत्नी श्री दलपत राम जी जोशी का स्वर्गवास दिनांक 02.05.2021 को होने से उनके अन्य वारीसान द्वारा किये गये पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 02.05.2022 के आधार पर श्रीमती कमला जोशी के हिस्से का नामान्तरण चाहा गया।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तर पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज होतो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सम्बंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र उपरोक्तानुसार आवेदकों के नाम पर जारी कर दिया जावेगा।

सुरेश कुमार खटीक (R.A.S.)

प्राधिकृत अधिकारी

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव राज.मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, वल्लभनगर जिला- उदयपुर

Email=chc.vallabhnagar@yahoo.com

क्रमांकः-संस्था/आर एम आर एस /खुली निविदा/2022-23/139 दिनांक :- 25/07/2022

खुली निविदा

सेवा प्रदाता रजिस्टर्ड फर्मो/ऐजेन्सीयों से वित्तिय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए विभिन्न योजनाओं में अस्पताल उपकरण एवं लेब/एक्स रे रिजेन्टस की आवश्यकतानुसार क्रय करने हेतु निम्नांकित कार्यो हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विषय	अनुमानित लागत (रूपयों में)	धरोहर राशि (रूपयों में)	निविदा बेचने की तारीख	निविदा लेने की अंतिम तारीख	निविदा खोलने की तिथि
1.	अस्पताल उपकरण (ओपरेशन थियेटर कॉटरी मशीन, ओ.टी.टेबल, अओ.टी एल ई डी लाईट वैक्युम मशीन)	350000/-	7000/-	25.07.2022 से 01.08.2022 को अपरान्ह 12 बजे तक	01.08.2022 दोपहर 2 बजे तक	02.08.2022 दोपहर 1 बजे
2.	लेब रिजेन्टस	300000/-	6000/-	25.07.2022 से 01.08.2022 को अपरान्ह 12 बजे तक	01.08.2022 दोपहर 2 बजे तक	02.08.2022 दोपहर 1 बजे
3.	एक्स-रे रिजेन्टस	300000/-	6000/-	25.07.2022 से 01.08.2022 को अपरान्ह 12 बजे तक	01.08.2022 दोपहर 2 बजे तक	02.08.2022 दोपहर 1 बजे

नोट:-

1. उक्त निविदा का पुर्ण विवरण एवं शर्ते निविदा फॉर्म के साथ संलग्न है एवं निविदा फॉर्म एवं शर्ते कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
2. वित्तिय एवं तकनीकी निविदा का अलग-अलग लिफाफे में निविदा ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान का होगा तथा कमेटी न्युनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी। धरोहर राशि सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी , वल्लभनगर के नाम से रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।
4. निविदा शुल्क 200 रूपये प्रत्येक निविदा फॉर्म का नकद या रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा ही स्वीकार की जायेगा।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी

राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

UIT **कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)**

क्रमांक: F-12( )Sales /Allot/2022/731 दिनांक:25/07/2022

आम-सूचना

निम्न आवेदनकर्ताओं द्वारा अपने भूखण्डों का वारिसान/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण /लीजडीड किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या/ ब्लॉक	क्षैत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	मृतक का नाम
1.	मकान संख्या ई-144	1250	भूपाल कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी प्रतापनगर	श्री राजकुमार कृपलानी पिता श्री भीमनदास कृपलानी	स्व.श्री आशुमल कृपलानी श्री खूबचन्द सिंधी मृत्यु की दिनांक 15.03.1993
2.	भवन संख्या ई-08	1500	भूपाल कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी प्रतापनगर	श्रीमती राधिका दवे पत्नी श्री जितेन्द्र दवे	स्व.श्री टिकम दास पिता तैजूमल मृत्यु की दिनांक 27.08.2019 व वसीयत के आधार पर श्री अशोक खुबचन्दानी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2021
3.	भवन संख्या 09-ए	822.5	भूपाल कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी प्रतापनगर	श्रीमती राधिका दवे पत्नी श्री जितेन्द्र दवे	श्री.गुलराज पुरूस्वामी पिता स्व.श्री अर्जुनदास पुरूस्वामी द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.10.2018 के आधार पर
4.	भूलीरी भवन संख्या ई-08	1300	भूपाल कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी प्रतापनगर	श्रीमती राधिका दवे पत्नी श्री जितेन्द्र दवे	स्व.श्री टीकमदास पिता तेजूमल मृत्यु की दिनांक 27.08.2019 व वसीयत के आधार पर श्री अशोक खुबचन्दानी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.02 2021
5.	भवन संख्या ई-117	420	भूपाल कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी प्रतापनगर	श्री बंशीलाल पिता स्व. श्री मांगीलाल बारबर श्री धर्मेन्द्र कुमार बारबर पिता स्व.श्री मांगी लाल बारबर	स्व.श्री मांगीलाल सेन पिता श्री नारायण लाल सेन मृत्यु दिनांक 26.05.2006 प्रस्तुत पंजीकृत परित्याग पत्र (रिलीज डीड) दिनांक 22.01.2022
6.	भूखण्ड संख्या 276 MUT /1148	2176	भुवाणा विस्तार योजना	श्रीमती रजनी कुकरेजा पत्नी स्व.श्री एस.सी. कुकरेजा, सुश्री ईशा कुकरेजा तथा नाबालिक पुत्र श्री अनमोल कुकरेजा पिता स्व.श्री एस.सी.कुकरेजा	स्व.श्री एस.सी.कुकरेजा मृत्यु की दिनांक 15.11. 2015 वारिसान के आधार पर
7.	भूखण्ड संख्या 115-सी MUT /2394	310	सबसिटी सेन्टर योजना	श्री संजय संघवी पिता स्वर्गीय श्री राज मल संघवी	स्व.श्री राजमल संघवी मृत्यु की दिनांक 24.08. 2020 प्रस्तुत पंजीकृत निमुक्ति पत्र दिनांक 24.05 2022 के आधार पर
8.	भूखण्ड संख्या 252 ब्लॉक ई MUT /2243	250	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी पिता स्व.श्री कृष्ण सिंह राव	स्व.श्री कृष्ण सिंह राव मृत्यु की दिनांक 05.04. 2017 प्रस्तुत पंजीकृत रिलीज डीड (हकत्याग पत्र) दिनांक 30.01.20 20 के आधार पर

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्डों का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र/लीजडीड जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारो सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में सम्बधित शाखा के लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण पत्र/ लीजडीड जारी की जा सकेगी।

(सुरेश कुमार खटीक RAS)

प्राधिकृत अधिकारी, बिक्री शाखा

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर